न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/424/2018

उनवान

1. गोवर्धन पिता देवकरण बलाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. रामस्वरूप पिता देवकरण बलाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. काना पिता देवकरण बलाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. श्रीमति गटु बेवा देवकरण बलाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामा बलाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. चौथू पुत्र मांगू बलाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. चांदू पुत्र मांगू बलाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. ईद मोहम्मद पुत्र कासम नीलगर निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. गनी मोहम्मद पुत्र रसील नीलगर निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. अलादी पुत्र रसूल बक्ष निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. राजकुमतार पुत्र ओम प्रकाश नाई निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8. कमल पुत्र मुंशी लाल नाई निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. अशोक पुत्र मुंशी लाल नाई निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
10. शांति पत्नि मुंशी लाल नाई निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
11. शिवदयाल पुत्र मिश्री लाल महाजन निवासी आगूचा प्रथम तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के
प्रकरण संख्या 185/2017 निर्णय दिनांक 11.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री अम्बा लाल कुमावत , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री गोपाल अजमेरा,अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं04 व6
3. प्रत्यर्थी संख्या 5 व 7 से 11 अनुपस्थित
4. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 10.2.2020

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 से 3 के खाते व कब्जेकाश्त की आराजी ग्राम आगूंचा प्रथम पटवार क्षेत्र आगूंचा प्रथम तहसील हुरडा में खाता संख्या नया 297 पुराना 309 की आराजी संख्या 1648 रकबा 1बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर 1649 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 1686 रकबा 2 बीघा एवं प्रार्थी संख्या 4 की खाता संख्या नया 44 पुरा 31 की आराजी नम्बर 1683

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा स्थित है एवं प्रार्थी संख्या 5 के खाता संख्या 220 की आराजी नम्बर 1684/1 रकबा 16 बिस्वा तथा प्रार्थी संख्या 6 के खाता संख्या 28 की आराजी नम्बर 1684/2 रकबा 16 बिस्वा स्थित है। जिस पर आने जाने के लिए कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थीगण पिछले काफी समय से पडौसियान खातेदारान की आराजी नम्बर 1697 जो कि ओमप्रकाश दत्तक पिता हरदेव नाई तथा आराजी नम्बर 1698 शिव दयाल पुत्र मिश्री लाल महाजन निवासी आगूंचा एवं आराजी नम्बर 1682 श्री गोवर्धन , रामस्वरूप, काना, पुत्र देवकरण श्रीमती गटू बेवा देवकरण बलाई निवासी आगूंचा के नाम खातेदारी दर्ज होने से उक्त पडौसी से रेकार्डेड रास्ता लेने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु रेकार्डेड रास्ता नहीं दे रहे हैं। प्रार्थीगण पिछले कईं वर्षो से विपक्षीगण की आराजियात से होकर जाने वाले रास्ते से कृषि उपकरण आदि आराजियात से लाते–ले जाते आ रहे हैं। लेकिन दिनांक 27.4.2017 को विपक्षी नेरास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न किया तथा वर्तमान में प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर आने–जाने का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः' ग्राम आगूंचा पटवार हल्का आगूंचा प्रथम तहसील हुरडा में खाता संख्या 95 की आराजी नम्बर 1697 जो कि ओम प्रकाश दत्तक पिता हरदेव नाइर्अ निवासी आगूंचा प्रथम एवं मुंशी लाल पिता छोगा नाई के नाम दर्ज है तथा ओम प्रकाश व मुंशी लाल की मृत्यु हो जाने से उनकी लिगल वारिसान विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को पक्षकार बनाया गया तथा खाता संख्या 278 की आराजी नम्बर 1682 श्री गोवर्धन, रामस्वरूप, काना पुत्र देवकरण गटू बेवा देवकरण बलाई निवासी आगूंचा के नाम होने से उक्त विपक्षीगण को पक्षकार बनाया गया है।

2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अधिनियम संख्या 3 की उप धारा 1 के अन्तर्गत नया

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रास्ता, मार्ग दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात में आने जाने एवं काश्त करने हेतु 15 फिट चौडा रास्ते की आवश्यकता है। अतः रास्ता दिलाया जावे , प्रार्थीगण निर्धारित मुआवजे की राशि अदा करने के लिए तैयार है।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प में किया गया जबकि अपीलाण्ट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.7.2018 दे रखी थी। उक्त आदेश दिनांक 11.6.2018 को ही पारित कर दिया गया । जिससे अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी । दिनांक 26.11.2018 को अधिवक्ता द्वारा जानकारी देने पर अविलम्ब ही नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त होने पर बिना विलम्ब किये अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम में अपीलाण्ट को तारीख पेशी दिनांक 16.7.2018 की नियत कर रखी थी जो अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट को दे रखी थी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण का

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निर्णय/आदेश दिनांक 1.6.2018 को ही अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में विधि विरूद्ध तरीके से पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। प्रकरण को राजस्व कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना अपीलाण्ट को प्राप्त नहीं हुई थी। अपीलाण्ट की कोई सहमति नहीं रही है। इसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय राजहस्व लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 के पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ता रेकार्डेड मौजूद है। जिसका उपयोग उपभोग वे वर्षो से करते चले आ रहे हैं। आराजी नम्बर 1675, 1676, 1683 में आने जाने का रास्ता आराजी संख्या 1680 रेकार्डेड रास्ते से आते जाते हैं एवं कुआ संख्या 77 ईद मोहम्मद का है एवं कुआ संख्या 52 चांद मोहम्मद का है , इस प्रकार प्रत्यर्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मोजूद है। जिसका उपयोग उपभोग प्रत्यर्थी संख्या 1 सें 6 करते आ रहे है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो रिपोर्ट तहसीलदार हुरडा द्वारा प्रस्तुत की गई है वह निष्पक्ष नहीं है एवं अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अपीलाण्ट को मौके पर बुलाया भी नहीं गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है एवं न ही उक्त रिपोर्ट में कहीं पर भी आस–पास के रास्तों का उल्लेख किया गया है और न ही अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुति करने का अवसर ही प्रदान किया है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी आधार पर उक्त अविवेकपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

10. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण की ओर से अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । जिसे दिनांक 12.7.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.8.2017 नियत की गई। दिनांक 22.8.2017, 12.9.2017, 26.9.2017, 23.10.2017, 27.11.2017, 8.1.2018, 29.1.2018 तक प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। दिनांक 26.2.2018 को विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदयाल

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जाट ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी संख्या 5 अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 6 से 9 के अनुपस्थित रहने से पुनः तलवाना पेश करने के निर्देश के साथ ही विपक्षी संख्या 1 से 4 कें जवाब पेश करने हेतु प्रकरण आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.4.2018 को नियत किया गया । दिनांक 16.4.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.7.2018 नियत की गई।

13. नियत तारीख पेशी दिनांक 16.7.2018 से पूर्व ही प्रकरण को दिनांक 11.6.2018 को लोक अदालत कैम्प आगूंचा पर रखा गया । इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र जारी किये गये । जिसका अवलोकन किया गया। उक्त सूचना पत्र/नोटिस की प्रोपर तामीली पक्षकारान पर नही हो पाई। प्रकरण वास्ते जवाब एवं तलबी में नियत था। प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से जवाब नहीं लिया गया । जबकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दर्ज होने के उपरान्त विपक्षी का जवाब लिया जाकर प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में दिये गये प्रावधानों के तहत प्रकरण मे समरी इन्क्वायरी की जाकर आत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता होने के संबंध में तहसीलदार से पर्चा मौका तलब किया जाना चाहिये। यह RT Act. Govt.Rule(Amended) 2012 के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कर प्रस्तुत किया जाना चाहिये । जिससे वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने अथवा नहीं होने की पुष्टि हो सके ।

14. अपीलाधीन प्रकरण में जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी संलग्न नहीं किया गया है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

जिससे वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने अथवा नहीं होने की पुष्टि नहीं होती है। प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण का कथन है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी पर आने–जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । मौका रिपोर्ट बनाते समय यदि पक्षकारान की उपस्थित सुनिश्चित की जाती तो निश्चित ही वैकल्पिक रास्ते बाबत स्थिति स्पष्ट हो सकती थी। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की गई है एवं न ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। RT Govt.Rule(Amended) 2012 के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। अतः अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

15. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर RT Govt.Rule(Amended) 2012 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उभयपक्ष की मौजूदगी में तैयार कर उपलब्ध मौका पर्चा के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.3.2020 को उपस्थित रहे।

16. निर्णय आज दिनांक 10.2.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा

राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Lakhara
Date: 2020.02.10 14:16:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: